हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 126

वीरवार, 03 मार्च, 2022/12 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरम्भ होने की घोषणा करने से पहले ही **श्री जगत सिंह नेगी**, सदस्य ने नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा हेतु दिए गए नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शिमला में भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उनको आंदोलन भी नहीं करने दे रही है और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।

शहरी विकास मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दिया जाये।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि पहले इस ज्वलन्त मुद्दे पर चर्चा की जाए।

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

"आपका मुद्दा मेरे पास आ गया है और मैंने इसे सरकार को भेज दिया है। दिनांक 02.03.2022 को प्रातः 09.55 बजे सर्वश्री जगत सिंह नेगी, मुकेश अग्निहोत्री, मोहन लाल ब्राक्टा, राम लाल ठाकुर, सुन्दर सिंह ठाकुर, सतपाल सिंह रायजादा, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, लखविन्द्र सिंह राणा, संजय अवस्थी, नन्द लाल व श्री इन्द्र दत्त लखनपाल माननीय सदस्यों से नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जोकि प्रदेश के लाखों कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने हेतु लम्बे समय से आंदोलनरत्त हैं, में व्याप्त भारी रोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।"

(माननीय अध्यक्ष द्वारा दी जा रही व्यवस्था से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य तथा श्री राकेश सिंघा (माकपा) सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-119 (7) के अन्तर्गत जैसा प्रावधित है, उसमें ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो। इस विषय पर सर्वश्री राम लाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, सुभाष ठाकुर, संजय अवस्थी, पवन कुमार काज़ल व श्रीमती आशा कुमारी माननीय सदस्यों से तारांकित प्रश्न उत्तर हेतु प्राप्त हुआ है जिस पर माननीय सदस्यगण अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने उत्तर हेतु प्रेषित कर दिया है। जैसे ही विभाग से उत्तर प्राप्त होगा, मैं अपना विनिश्चय दूंगा। अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर अविलम्ब सभा के कार्य को स्थगित करके इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं"। नारेबाजी के बीच में माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरम्भ कर दिया।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4735, 4737, 4739, के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। **11.15 बजे पूर्वाह्न कांग्रेस विधायक दल तथा माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा(माकपा) ने सदन से बहिर्गमन किया। माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष के बहिर्गमन की कड़े शब्दों में निंदा एवं भर्त्सना की।** तारांकित प्रश्नः 4741 के उत्तर पर जिया लाला द्वारा (प्राधिकृत) बिक्रम सिंह जरयाल द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा

संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। (**11.35 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के कुछेक सदस्य सदन में वापिस लौटे।**) तारांकित प्रश्नः 4745, 4746, 4748, 4750, 4752, 4755 से 4757 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 4736, 4738, 4740, 4742 से 4744, 4747, 4749, 4751, 4753 तथा 4754 के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4758 से 4791 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1930 से 1946 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में तकनीकी सहायक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःपीसीएच-एचबी (1)1/2019-टीए-II-49761-882 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.08.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित "प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ;

(ii) समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की योजनाओं" से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "बेटी है अनमोल योजना" से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन जोकि परिवहन विभाग की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2021-2022) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने यूक्रेन में फंसे हुए हिमाचल के बच्चों व लोगों की सकुशल वापसी हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों बारे विस्तृत वक्तव्य दिया।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने कहा कि जो बच्चे खारकीव, सुमी और कीव में फंसे हुए हैं उन्हें बॉर्डर तक पहुंचाने के इन्तज़ाम में तेजी लाई जाए ताकि बच्चे सकुशल परिजनों के पास पहुंचे।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

पिछले सत्र में दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प **"बदलते परिवेश में विधायको की भूमिका पर यह सदन विचार करे"**
निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्रीमती आशा कुमारी
2. श्री नन्द लाल
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
4. श्री भवानी सिंह पठानिया
5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. डॉ0 (कर्नल)धनी राम शांडिल
8. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
9. श्री सतपाल सिंह रायजादा
10. श्री राकेश सिंघा

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकार

(1.50 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.45 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

पहला संकल्प

(I) **श्री जीत राम कटवाल तथा सह-प्रस्तावक श्री नरेन्द्र ठाकुर** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"श्रीमद् भगवत् गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने बारे यह सदन विचार करे।"

(3.05 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

2. श्री मुकेश अग्निहोत्री
3. श्री हीरा लाल
4. श्रीमती आशा कुमारी
5. श्री विशाल नैहरिया

शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

दूसरा संकल्प

(II) **श्री राकेश सिंघा** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> **"This House may frame a policy to grant relief amounting to 50% of the loss incurred due to natural calamities on agricultural and horticultural produce and enhance the relief amount to Five Lacs on the destruction of the house due to fire"**

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश से हजारों कर्मचारी जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिमला आए हुए हैं, उन पर सरकार द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है जोकि बिल्कुल भी उचित नहीं है।

जल शक्ति मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सेवारत्त, सेवानिवृत्त या समाज के किसी भी अंग के व्यक्ति को यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आज जो भी कर्मचारी शिमला आए हुए हैं, उनसे बार-बार आग्रह किया जा रहा है कि आप 5-7

लोगों का प्रतिनिधिमण्डल आकर इस विषय में बात कर सकते हैं। सरकार और मुख्य मंत्री जी जो भी उचित होगा, वह करने के लिए तैयार हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हम सारी स्थिति को नज़दीकी से देख रहे हैं और विपक्ष के कहने से वे लोग शिमला आए, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं लेकिन उनको उकसाने का काम विपक्ष द्वारा किया जा रहा है।

(मुख्य मंत्री की टिप्पणी पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर तीखी नोकझोंक करने लगे।)

(4.45 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

(दोनों पक्षों की ओर से अत्यधिक शोर-शराबा होने के कारण सदन की कार्यवाही को 4.50 बजे अपराह्न 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया।)

(4.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

04.57 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 04 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।